P001

कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका सख्या 14094/2018 श्री महिपाल सिंह बनाम सरकार मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 04.01.2019 में याचिकार्थी को व्याख्याता से प्रधानाचार्य (उमावि) पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में नाम जोडने हेतु इस विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता देते हुए इस विभाग को 3 सप्ताह की भीतर या अन्तिम पात्रता सूची प्रकाशित होने से पूर्व प्राप्त अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये।

उक्त निर्णय की पालना में याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह व्याख्याता, राजनीति विज्ञान (मूल पद), हाल प्रतिनियुक्ति पर प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल साई, शेरगढ, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन जिसमे इन्होने स्वयं को वर्ष 2010–11 की सीधी भर्ती से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर नियुक्त बताते हुए अपना वरिष्ठता कमांक 1709 (2)/2010–11 बताया। याचिकार्थी अभ्यावेदन में प्रधानाचार्य (उमावि–समकक्ष) के पद पर वर्ष 2018–19 की रिक्तियो के विरूद्ध डीपीसी हेतु विभाग द्वारा तैयार की जा रही पात्रता सूची में अपना नाम शामिल करने मांग की है।

याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अभिलेखानुसार गहन मनन एवं परीक्षण किया गया। याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह का प्रधानाचार्य उमावि–समकक्ष पद पर वर्ष 2018–19 की रिक्तियो के विरूद्ध डीपीसी हेतु विभाग द्वारा तैयार की जा रही पात्रता सूची में सहवन से नाम नहीं जोड़ा गया है।

याचिकार्थी वर्ष 2010–11 की सीधी भर्ती से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर नियुक्त है। इनका वरिष्ठता कमांक 1709(2) वरिष्ठता अवधि 2010–11 है। विभाग द्वारा प्रधानाचार्य उमावि–समकक्ष पद पर वर्ष 2018–19 की रिक्तियो के विरूद्ध डीपीसी बैठक दिनांक 24.04.2018 को सम्पन्न हो चुकी है। पात्रता सूची के अनुसार सामान्य वर्ग की रिक्तियो के विरूद्ध वरिष्ठता कमांक 650 वरिष्ठता अवधि 2010–11 तक के कार्मिको के चयन की अभिशंषा समिति द्वारा की गई है । याचिकार्थी से कनिष्ठ किसी भी कार्मिक की पदोन्नति वर्ष 2018–19 रिक्तियो के विरूद्ध प्रधानाचार्य उमावि–समकक्ष के पद पर विभाग द्वारा नही की गई है।

भविष्य में श्री महिपाल सिंह, व्याख्याता वरिष्ठता कमांक 1709 (2)/2010–11 का प्रधानाचार्य (उमावि–समकक्ष) पद पर वर्ष 2018–19 रिव्यू डीपीसी अथवा वर्ष 2019–20 की डीपीसी हेतु निर्माण की जाने वाली पात्रता मे यथास्थान नाम जोड़ दिया जाएगा। तद्नुसार याचिकार्थी के अभ्यावेदन को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा/मा/सस्था/कोके/बी–III /या0–14094/महिपाल सिह/18/13 दिनांक:– 06/2/2019
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रॉमर, कम्प्यूंटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर ।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) ।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री महिपाल सिंह, व्याख्याता, हाल प्रतिनियुक्त प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल साई, शेरगढ, जोधपुर (रजिस्टर्ड)
11. निजी पजिका/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)